<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">नीति का नाम
रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं कालाधनशोधन के प्रति शून्य सहनशीलता (वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति)</td><td>नीति सं.
904</td><td>अंक सं.
4</td><td colspan="2">पृष्ठ
1 - कुल 6</td></tr>
<tr><td colspan="2">दायरा</td><td colspan="2">अनुमोदित विचलन</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">विश्वव्यापी</td><td>हां</td><td>नहीं X</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>संगठन</td><td colspan="3">अनुमोदक</td><td>पिछला संस्करण</td><td>प्रभावी होने का दिनांक</td></tr>
<tr><td>विधि विभाग</td><td colspan="3">लॉरा निक्किस्ट, महापरामर्शदाता</td><td>10/1/2012</td><td>12/31/2015</td></tr>
</table>

अंतिम समीक्षा दिनांक: 16 जनवरी, 2019

इस नीति में Teradata आचार संहिता, Teradata नैतिकता गाइड, CMP 912 (उपहार एवं मनोरंजन नीति) और इस नीति में या इस नीति के पूरक में संदर्भित किन्हीं भी अन्य कंपनी नीतियों के प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं और यह उनके द्वारा अनुपूरित है.

नीति का परिप्रेक्ष्य

Teradata रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं कालाधनशोधन (सामूहिक रूप से, "भ्रष्टाचार") के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है. अतः इस नीति को हमारी "शून्य सहनशीलता नीति" या हमारी "वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति" कहा जा सकता है.

यह शून्य सहनशीलता नीति विश्व में कहीं भी Teradata या उसकी पेशकशों के द्वारा, की ओर से, या को शामिल करने वाले सभी व्यवहारों/सौदों पर लागू होती है. संपूर्ण विश्व में सभी Teradata इकाइयों, सहायक कंपनियों, सहयोगियों, वितरकों, पुनर्विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य तृतीय-पक्ष प्रतिनिधियों, और उनके सभी अधिकारि यों, निदेशकों, कर्मचारियों, एजेंटों व अन्य प्रतिनिधियों ("Teradata के व्यक्ति") को इस नीति का अनुपालन करना होगा.

यह शून्य-सहनशीलता नीति सभी प्रकार के भ्रष्टाचार - जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार का भ्रष्टाचार शामिल है - पर लागू होती है. अतः यह नीति Teradata के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी व्यवहारों/सौदों पर लागू होती है जिनमें कोई भी "सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारी" सम्मिलित हो, और उन पर भी जिनमें कोई "निजी अधिकारी" सम्मिलित हो. इस नीति के प्रयोजन से, सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारी का अर्थ किसी सरकार, राजनैतिक इकाई/संस्था, राजनैतिक दल, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरण, या "राज्य स्वामित्वाधीन उपक्रम" ("SOE"), जैसे कि बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन या यूटिलिटी कंपनी जो किसी सरकारी इकाई/संस्था/कंपनी के पूर्ण या आंशिक स्वामित्वाधीन हो, उसके कर्मचारी, ठेकेदार, अभिकर्ता, निर्वाचित या नियुक्त अधिकारी, अभ्यर्थी, नामिती या अन्य प्रतिनिधि से है.

इस नीति के प्रयोजन से, "निजी अधिकारी" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कोई सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारी नहीं है पर वह किसी वास्तविक या प्रस्तावित Teradata ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, सेवा-प्रदाता, वितरक, पुनर्विक्रेता, अभिकर्ता, ब्रोकर या अन्य व्यापारिक गठबंधन साझेदार का कोई अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य प्रतिनिधि है. इस नीति में किसी सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारी की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार को सार्वजनिक भ्रष्टाचार कहा गया है; और किसी निजी अधिकारी की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार को इस नीति में निजी भ्रष्टाचार कहा गया है.

Teradata यह आवश्यक करती है कि:

(1) सभी लागू रिश्वतखोरी-विरोधी, भ्रष्टाचार-विरोधी और कालाधनशोधन-विरोधी कानूनों (सामूहिक रूप से, "भ्रष्टाचार-विरोधी कानून"), जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम ("FCPA"), यूनाइटेड किंगडम ("UK") रिश्वतखोरी अधिनियम, और हम जहां व्यापार करते हैं ऐसे हर अधिकारक्षेत्र एवं स्थान के ऐसे कानूनों का सारे समय अनुपालन किया जाएगा;

(2) कंपनी के भीतर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और कालाधनशोधन की रोकथाम करने, उनका जोख़िम एवं प्रभाव घटाने, उनका पता लगाने तथा उन्हें हल करने के लिए उद्दिष्ट नीतियां, परिपाटियां, नियंत्रण एवं कार्यविधियां लागू की जाएंगी; और

(3) उन नीतियों, परिपाटियों, नियंत्रणों एवं कार्यविधियों का पालन एवं प्रवर्तन किया जाएगा.

पूरे विश्व के Teradata के व्यक्तियों :

(1) से अपेक्षित है कि वे कंपनी से संबंधित सभी गतिविधियों, मामलों और लेनदेनों में उच्च नैतिक व्यापार परिपाटियों का पालन करेंगे;

(2) को रिश्वतों, किकबैक, कालाधनशोधन, अनुचित सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतानों, और अन्य सभी भ्रष्ट भुगतानो, मूल्यवान वस्तुओं के अंतरणों और परिपाटियों की पेशकश करने, आग्रह करने, का भुगतान करने, प्राप्त करने, का सुगमीकरण करने, को अधिकृत करने, अनुमोदित करने, अनदेखा क रने, में भागीदारी करने, कंपनी की बहियों और अभिलेखों में पूर्णता व शुद्धता के साथ उन्हें अभिलेखित नहीं करने, औ र उन्हें छिपाने से विरत रहना होगा; और और उन्हें छिपाने से विरत रहना होगा; और

(3) उन अन्य Teradata नीतियों एवं मानकों को याद रखना और उनका अनुपालन करना होगा जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और/या कालाधनशोधन को उत्पन्न कर सकने या से संबंधित हो सकने वाले आचरण को भी संबोधित करते हैं, जैसे Teradata उपहार एवं मनोरंजन नीति (CMP 912), हितों के टकराव नीति (CMP 901), यात्रा एवं मनोरंजन नीति (CMP 802), Teradata आचार संहिता, एवं संबंधित Teradata नैतिकता गाइडें.

FCPA वे न्यूनतम वैश्विक रिश्वतखोरी-विरोधी एवं भ्रष्टाचार-विरोधी अपेक्षाएं स्थापित करता है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों और उनके व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर के बाजारों में व्यापार करने या के संबंध में पूरा करना होता है. FCPA विशिष्ट रूप से सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारियों के साथ, को, के लिए, या के सं बंध में व्यवहारों/सौदों, भुगतानों, रिश्वतों, किकबैक और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अंतरणों पर लागू होता है. Teradata के ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारियों से संबंधित बिक्री या अन्य गतिविधियों में किसी भी प्रकार से शामिल हैं, उन्हें सारे समय निश्चित होना चाहिए कि वे FCPA का अनुपालन करते हैं, और, यदि वे अनिश्चित हैं, तो उन्हें ऐसे किसी भी कृत्य जो FCPA का अनुपालन नहीं करता है, में संलग्न होने से पहले Teradata के विधि विभाग या E&C कार्यालय से मार्गदर्शन एवं निर्देश मांगने व प्राप्त करने चाहिए.

पूरे विश्व में कई देशों, प्रांतों, राज्यों एवं अन्य अधिकारक्षेत्रों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश राज्य शामिल हैं, ने भी ऐसे रिश्वतखोरी-विरोधी, कालाधनशोधन-विरोधी और अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों को अपना लिया है जो सार्वजनिक (सरकारी) और निजी, दोनों प्रकार के भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होते हैं. वे कानून ऐसी कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों पर प्रायः लागू होते हैं जो :

(1) उस अधिकारक्षेत्र में निगमित हैं या व्यापार करती हैं; (2) सरकार-संबंधी ठेकों में (मुख्य ठेकेदार या उपठेकेदार के रूप में) बोली लगाती या भागीदारी करती हैं; या (3) उस अधिकारक्षेत्र के नागरिकों, निवासियों या वहां निगमित अथवा संचालनरत कंपनियों को नियुक्त करती हैं, उनके साथ अनुबंध करती हैं, या अन्यथा प्रकार से उनके साथ संलग्न होती हैं.

पूरे विश्व में और असंख्य अधिकारक्षेत्रों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार -विरोधी कानूनों का प्रवर्तन लगाता र अधिकाधिक कठोर होता जा रहा है. इन कानूनों के उल्लंघन के आपराधिक दंडों में अग्रलिखित शामिल हो सकते हैं : संलिप्त व्यक्तियों के लिए उल्लेखनीय अवधि का कारावास, संलिप्त व्यक्ति यों और संलिप्त कंपनियों, दोनों पर गंभीर अर्थदंड, और कंपनियों के लिए अनुचित लाभ ज़ब्त करवाना आवश्यक किया जा सकता है. उल्लंघन सीधे मूल भ्रष्ट आचरण पर आधारित हो सकते हैं और/या कंपनी के पास रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार की रोकथाम, का पता लगाने और को रोकने की पर्याप्त कार्यविधियां नहीं होने, या सभी लेनदेनों और मूल्यवान वस्तुओं के अन्य अंतरणों की वास्त विक राशि, प्रयोजन, प्रकृति और संलिप्त पक्षों को पूर्णतः व उचित ढंग से दर्शाने वाली शुद्ध बहियां एवं अभिलेख बनाकर नहीं रखने पर आधारित हो सकते हैं. अतः रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार की रोकथाम करने, का पता लगाने और को रोकने के लिए बनाए गए कंपनी के नियंत्रणों और कार्य विधियों का उल्लंघन करने वाले या कंपनी की बहियों और अभिलेखों में जानबूझकर मिथ्या, अशुद्ध या अपूर्ण प्रविष्टियां (जिनमें उपहार , मनोरंजन और यात्रा के संबंध में ऐसी प्रविष्टियां शामिल हैं) करने वाले कंपनी के कर्मचारी और प्रतिनिधि भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो सकते हैं. तदुनसार, कंपनी इन नियंत्रणों, कार्यविधियों, और अभिलेख बनाकर रखने तथा बहियां बनाकर रखने की आवश्यकताओं के सुविचारित उल्लंघ नों के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है. कंपनी इस नीति का उल्लंघन करने वाले सभी Teradata व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जिसमें उनकी नियुक्ति का या (यदि वे कर्मचारी नहीं है तो) Teradata के साथ उनके अनुबंधों का समापन तक शामिल है, और कंपनी विधि प्रवर्तन अधिकारियों को उल्लंघन की सूचना दे सकती है और उक्त उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों की जांच -पड़ताल में तथा उन पर अभियोग चलाने में सहायता कर सकती है. इस प्रकार के भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के सभी उल्लंघन, चाहे शामिल राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो, गंभीर होते हैं और कंपनी द्वारा सहन नहीं किए जाएंगे ए वं कंपनी उन्हें सहन नहीं कर सकती है.

नीति

Teradata के व्यक्तियों को विधिक और नैतिक ढंग से व्यापार संचालित करना होगा, सभी भ्रष्टाचार -विरोधी कानूनों, जिनमें FCPA और UK रिश्वतखोरी अधिनियम शामिल हैं, का अनुपालन करना होगा, और उक्त कानूनों की या से संबंधित सभी शुद्ध -बही-एवं-अभिलेख तथा पर्याप्त-कार्यविधियां आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। नीचे दिया गया नीति वक्तव्य उक्त आचरण के लिए आवश्यक किए गए न्यूनतम मानक दर्शाता है. हालांकि, Teradata व्यक्तियों के वास्तविक व्यापारिक आचरण से इन न्यूनतम मानकों से भी ऊंचे प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है. उदाहरण के लिए, किसी ऐसे अ धिकारक्षेत्र में जहां किसी ग्राहक प्रतिनिधि को अतिव्ययी व्यक्तिगत उपहारों/मनोरंजन और अनुग्रहों के रूप में निजी भ्रष्टाचार स्थानीय कानूनों के सुव्यक्त या स्थानीय विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यथा प्रवर्तित उपबंधों के अंतर्गत ग़ैर -कानूनी नहीं हो वहां भी, Teradata के व्यक्तियों को उस आचरण में संलिप्त नहीं होना है.

नीति वक्तव्य

1. कंपनी के निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता, और अन्य तृतीय-पक्ष प्रतिनिधि :

    कंपनी-संबंधी व्यापार प्राप्त करने, अपने पास बनाए रखने, निर्देशित या प्रभावित करने, या किसी सार्वजनिक अधिकारी या निजी अधिकारी या उसके अभिकरण, SOE या कंपनी से कंपनी (टेराडेटा) के लिए कोई ग़ैर-कानूनी, भ्रष्ट या अनुचित अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने के लिए या के इरादे से, उक्त अधिकारी को या के लाभ के लिए किसी भी रिश्वत, किकबैक, धन या किसी भी मूल्यवान वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान, भुगतान करने की पेशकश, भुगतान करने का वचन, या भुगतान को प्राधिकृत नहीं करेंगे/देंगे.

    फलस्वरूप, "सरलीकरण भुगतान" और "ग्रीज़ भुगतान" सख़्त रूप से निषिद्ध हैं. सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान आमतौर पर किसी Teradata व्यक्ति द्वारा या की ओर से किसी सरकारी अधिकारी को किया जाने वाला ऐसा नकद भुगतान या अन्य प्रकार का अंतरण होता है जो सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में Teradata या किसी Teradata व्यक्ति के लिए अनुकूल ढंग से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का सरलीकरण करने या को बेहतर बनाने में उस सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया, और शायद अपने पास रख लिया जाता है. उदाहरण के लिए, अतीत में और कुछ कंपनियों में और संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर कुछ स्थआनों में कंपनी के कर्मचारी द्वारा मंत्रालय संबंधी कार्यों जैसे सीमाशुल्क एवं आव्रजन स्वीकृतियों के प्रक्रमण को सरल व सुचारू बनाने के लिए कुछ सर कारी अधिकारियों को छोटे-छोटे सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान, जैसे कि भेंटों के रूप में, करना आम रहा हो सकता है. Teradata में इस प्रकार के सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान निषिद्ध हैं और कंपनी उनके प्रति शून्य सहनशीलता रखती है, चाहे तकनीकी दृष्टि से उन्हें संबंधित देश में ग़ैर-कानूनी न भी माना जाता हो.

    हालांकि यदि कोई सरकारी इकाई/संस्था/कंपनी कोई वैध, सरकारी इकाई/संस्था/कंपनी द्वारा प्रकाशित शीघ्रीकरण शुल्क अनुसूची या शीघ्रीकरण सेवा प्रदान करती है और सरकारी इकाई/संस्था/कंपनी को कंपनी (टेराडेटा) की ओर से चेक या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा धन का भुगतान किया जाता है और उक्त लेनदेन को Teradata की बहियों और अभिलेखों में उचित ढंग से अभिलिखित किया जाता है, तो उक्त लेनदेन को सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान नहीं माना जा सकता है. उदाहरण के लिए, कोई यूटिलिटी (बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन आदि की कंपनी) जो राज्य स्वामित्वाधीन उपक्रम/SOE है, तो कंपनी (टेराडेटा) उससे कुछ वैध शीघ्रीकृत या सामान्य घंटों के बाद की यूटिलिटी सेट-अप या मरम्मत सेवाएं ले सकती है बशर्ते कंपनी उक्त शीघ्रीकृत सेवाओं के लिए यूटिलिटी कंपनी द्वारा प्रकाशित शुल्कों/दरों का भुगतान करे; उक्त भुगतान को सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान या इस नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. यदि किसी Teradata व्यक्ति को इस बारे में कोई संशय है कि कोई प्रस्तावित भुगतान कोई निषिद्ध भुगतान है, कोई निषिद्ध सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान है, या फिर कोई वैध शीघ्रीकरण शुल्क व्यवस्था, तो उसे उक्त भुगतान पर सहमत होने, को अधिकृत करने या वह भुगतान करने से पहले Teradata विधि विभाग या नैतिकता एवं अनुपालन ('E&C') कार्यालय के किसी सदस्य से मार्गदर्शन मांगना व प्राप्त करना चाहिए और उक्त के संबंध में Teradata विधि विभाग या E&C कार्यालय के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए.

नीति	नीति संख्या	पृष्ठ
रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं कालाधनशोधन के प्रति शून्य सहनशीलता (वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति)	904	5 कुल 6

2. कॉर्पोरेट लेखांकन (अकाउंटिंग) नीतियां, कार्यविधियां एवं नियंत्रण इस प्रकार अपनाए एवं प्रभावी किए जाएंगे जिससे FCPA, UK रिश्वतखोरी अधिनियम एवं अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों की शुद्ध-बही-एवं-अभिलेख तथा पर्याप्त-कार्यविधियां आवश्यकताओं का अनुपालन हो, ताकि कॉर्पोरेट निधियों को उन कानूनों के उल्लंघन में प्रयोग होने से निषिद्ध किया व रोका जा सके, अतः यह आवश्यक किया जाता है कि कं पनी की बहियां और अभिलेख कंपनी द्वारा, के लिए या के सभी भुगतानों, व्ययों, अंतरणों, आस्तियों और लेनदेनों की सत्य व सही राशियां, पहचानें, प्राप्त कर्ता, दिनांक, प्रकृति और प्रयोजन पूर्ण रूप से, उचित ढंग से और समुचित रूप से दर्शाएं. विशिष्ट रूप से :

   a. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की निधियों या आस्तियों को सम्मिलित करने वाले सभी लेनदेन कंपनी की बहियों और अभिलेखों में लिखे जाएंगे और उन्हें नियमित वित्तीय प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) और विवरणों में कंपनी के वैश्विक वित्त संगठन के समक्ष प्रकट किया जाएगा ;

   b. जो निधियां एवं आस्तियां कंपनी की बहियों और अभिलेखों में प्रकट नहीं होती हैं और जिन्हें नियमित प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) और विवरणों में कंपनी के वैश्विक वित्त संगठन के समक्ष प्रकट नहीं किया जाता है (कभी -कभी उन्हें "अलिखित निधि" या स्लश फ़ंड कहा जाता है) वे निषिद्ध हैं;

   c. कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों की बहियों और अभिलेखों में कोई मिथ्या या भ्रामक प्रविष्टि नहीं की जा सकती है;

   d. कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों की ओर से किए गए सभी भुगतानों और उपगत हुए सभी व्ययों (जिनमें आस्तियों के अंतरणों, लेनदेनों और निपटान के अन्य रूप शामिल हैं, जैसे मूल्यवान वस्तु के रूप में प्रदायगी) का ऐसे पर्याप्त दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है जो उक्त भुगतानों/व्ययों की सत्य व शुद्ध राशियां, पहचानें, प्राप्तिकर्ता, दिनांक, प्रकति एवं प्रयोजन पूर्ण रूप से, उचित ढंग से और समुचित रूप से दर्शाते हों;

   e. भुगतान/व्यय के समर्थक दस्तावेज़ में वर्णित प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन से कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है और कोई व्यय उपगत नहीं किया जा सकता है (इसमें आस्तियों के अंतरणों, लेनदेनों और निपटानों के अन्य रूप शामिल हैं, जैसे मूल्यवान वस्तु के रूप में प्रदायगी); और

   f. वित्तीय विवरणों की किसी लेखापरीक्षा, जांच, पड़ताल या तैयारी के संबंध में किसी अधिकारी, लेखाकार, लेखापरीक्षक, या अन्य कंपनी अधिकारी को भ्रम में डालने के लिए मिथ्या या भ्रामक विवरण तैयार करना, या किसी तथ्य या कथन को लुप्त करना या करवाना निषिद्ध है.

कंपनी की कॉर्पोरेट वित्त एवं लेखांकन नीतियां और संबंधित प्रचालन कार्यविधियां इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने, उक्त अनुपालन की निगरानी करने और का सत्यापन करने में सहायता करने वाले लेखांकन नियंत्रण स्थापित करेंगी.

3. जब भी इस नीति का कोई उल्लंघन, या समुचित-रूप-से-संदिग्ध-उल्लंघन हो, या जब इस नीति से, इसके अनुपालन से, या यह नीति जिन कानूनों से संबंधित है उनसे संबंधित प्रश्न हो, तो कंपनी के विधि विभाग या E&C कार्यालय से तत्काल संपर्क किया जाना चाहिए.

4. ऐसे प्रत्येक अधिकारी, प्रबंधन और कर्मचारी जिसके लिए कंपनी की नीतियों और/या कार्यविधियो द्वारा समय -समय पर यह प्रमाणित करना आवश्यक किया गया है कि कंपनी की बहियां और अभिलेख, वित्तीय विवरण/प्रतिवेदन (रिपोर्ट), और/या प्रकटन उसके ज्ञान की सीमा तक शुद्ध हैं, अनुपालक हैं और पूर्ण हैं, और/या जिसके लिए उक्त नीतियो/या कार्यविधियो द्वारा वैकल्पिक रूप से, उक्त प्रमाणन कथन के जो भी अपवाद हो उन्हें सूचीबद्ध करना आवश्यक किया गया है, को अपने उस समय के वर्तमान आवधिक प्रमाणन अपवाद कथन में इस नीति के ऐसे हर उल्लंघन जिससे वह अवगत है, का प्रकटन करना होगा, बशर्ते वह उल्लंघन पहले से ही कंपनी की बहियों और अभिलेखों, वित्तीय विवरणों/प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) या प्रकटनो में, या कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी, विधि विभाग, E&C कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल को दिए गए प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) में प्रकट न किया जा चुका हो.

नीति अनुपूरक

मुख्य FCPA/रिश्वतखोरी-विरोधी/भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनी आवश्यकताओं और उनके निहितार्थों का सारांश, और Teradata में उन्हें कैसे संभाला जाना है इस बात का सारांश

यह अनुपूरक Teradata के व्यक्तियों को, जिस नीति का यह अनुपूरण करता है उसमें दिए गए वर्णन से आगे का सारांश -स्तर का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है. यह सारांश अग्रलिखित के संग्रह (इस नीति संस्करण के प्रभावी होने के दिनांक को और इस नीति के अंतिम समीक्षा दिनांक तक यथा-संशोधित) को दर्शाता है: FCPA और अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के विभिन्न उपबंध; भ्रष्टाचार -विरोधी कानूनों की व्याख्याएं, उनसे संबंधित निर्णय/मत, एवं उन्हें शामिल करने वाले प्रकरण; भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों से संबंधित मार्गदर्शन, सर्वोत्तम परिपाटियां, अनुशंसित जोख़िम-बचाव/न्यूनीकरण कार्रवाइयां, तथा संभावित परिणामों के अनुमान; और भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों से संबंधित कंपनी नीतियां, परिपाटियां, कार्यविधियां, आवश्यकताएं और मार्गदर्शन.

यह सारांश इस संबंध में कंपनी द्वारा स्वीकारोक्ति का, या कंपनी की विधिक स्थिति या विधिक सलाह का कोई रूप नहीं है कि किसी समय विशेष पर भ्रष्टाचार -विरोधी कानूनों के कौन-कौनसे विशिष्ट उपबंध, आवश्यकताएं या व्याख्याएं हैं या होंगी, या कि वास्तविक तथ्यों विशेष एवं परिस्थिति विशेष पर लागू किए जाने पर भ्रष्टाचार-विरोधी कानून का कोई उल्लंघन अवश्य ही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा.

यदि किसी Teradata व्यक्ति के पास इस संबंध में कोई प्रश्न या चिता है कि कोई चीज भ्रष्टाचार -विरोधी कानूनों का अनुपालन करती है या नहीं, तो उसे वह प्रश्न या चिता उसके उत्पन्न होने के समय कंपनी के विधि विभाग या E&C कार्यालय के समक्ष रखना चाहिए ताकि शामिल वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उस समय विशिष्ट विधिक मार्गदर्शन और सलाह प्रदान किए जा सकें.

कंपनी की आचार संहिता, संबंधित नैतिकता गाइडें, और अन्य नीतियां (जिनमें कंपनी की उपहार एवं मनोरंजन नीति, CMP 912, कंपनी की हितों के टकराव नीति (CMP 901), और कंपनी की कॉर्पोरेट वित्त एवं लेखांकन नीतियां शामिल हैं) भी भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के अनुपालन और उनसे संबंधित मामलों की हैंडलिग से जुड़े विशिष्ट मुद्दों और परिस्थितियों से संबंधित आवश्यकताओं औ र मार्गदर्शन से संबंधित अधिक विवरण प्रदान करती हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम (FCPA) के प्रयोजनों में ये शामिल हैं : (1) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित/व्यापार करने वाली सभी कंपनियों और उनकी सभी सहायक कंपनियों, और संपूर्ण विश्व में उनके कर्मचारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों को अधिकारियों, सरकारी इकाइयों/संस्थाओं/कंपनियों, सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्वाधीन उपक्रमों, या अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरणों से व्यापार प्राप्त करने, अपने पा स बनाए रखने या को प्रभावित करने, अथवा अन्य ग़ैर-कानूनी, भ्रष्ट या अनुचित अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने के लिए रिश्वत, किकबैक, एवं अन्य भ्रष्ट भुगतान/अंतरण करने से निषिद्ध करना; और (2) (i) कॉर्पोरेट निधियों का ऐसे ग़ैर-कानूनी, अनैतिक, भ्रष्ट या अनुचित प्रयोजनों में उपयोग होने से रोकने वाली और (ii) भुगतानों, अंतरणों तथा व्ययों की सत्य व शुद्ध राशियां, पहचानें, प्राप्तकर्ता, दिनांक, प्रकति एवं प्रयोजन को पूर्ण रूप से, उचित ढंग से तथा समुचित रूप से (इस प्रकार शामिल कि उक्त निषिद्ध लेनदेन पारदर्शी होंगे और छिपाए नहीं जाएंगे) दर्शाने वाली कॉर्पोरेट बहियों और अभि लेखों को बनाकर रखने वाली लेखांकन कार्यविधियों और नियंत्रणों को आवश्यक करना.

I. रिश्वतखोरी-विरोधी/भ्रष्टाचार-विरोधी उपबंध

A. <u>निषेध</u>

निम्नांकित के घटित होने पर FCPA का उल्लंघन हो सकता है :

1. कोई निषिद्ध कृत्य किया गया है.

   a. FCPA द्वारा निषिद्ध कृत्यों में धन या किसी मूल्यवान वस्तु के भुगतान, उपहार, भुगतान करने या देने की पेशकश, भुगतान करने या देने के वचन, और भुगतान या प्रदायगी को अधिकृत करना शामिल हैं.

   b. किसी तृतीय व्यक्ति/पक्ष को यह जानते हुए (या यह विश्वास होने का समुचित आधार होने) धन, उपहार, या किसी मूल्यवान वस्तु का भुगतान, भुगतान करने की पेशकश, भुगतान करने का वचन, या भुगतान को अधिकृत करना/देना कि तृतीय व्यक्ति/पक्ष द्वारा भुगतान या उपहार का उपयोग FCPA के उल्लंघन में किया जाएगा. तृतीय व्यक्ति/ पक्ष के संबंध में या, उक्त कंपनीभुगतानों/ उपहारों/ आस्तियों के साथ क्या किया जाएगा या क्या नहीं अथवा उनके साथ क्या करने या क्या नहीं करने की अनु मति होगी इस संबंध में, समुचित पूछताछ और उचित पड़ताल नहीं करना, और FCPA के किसी संभावित उल्लंघन के चेतावनी संकेत (‘ख़तरे के निशान’) मौजूद होने की स्थिति में कदम नहीं उठाना या समुचित अतिरिक्त पूछताछ या उचित पड़ताल नहीं करना -- इस बात का साक्ष्य बन सकता है या यह निष्कर्ष दे सकता है कइ इस बात की जानकारी थी या होनी चाहिए थी या यह विश्वास करने का समुचित आधार था या होना चाहिए था कि भुगतान/ उपहार/ आस्ति का उपयोग FCPA के उल्लंघन में किया जाएगा.

2. भुगतान या उपहार में धन या कोई मूल्यवान वस्तु शामिल है.

   a. इसमें नकदी, संपत्ति का उपहार, व्ययों का भुगतान, ऋण, वित्तीय गारंटी, किसी आस्ति का, या किसी मूल्यवान वस्तु का उसे पाने वाले व्यक्ति द्वारा (या उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए) उपयोग या को अंतरण शामिल हो सकता है.

   b. भुगतान या उपहार किसी तृतीय व्यक्ति/पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या के माध्यम से किया जा सकता है.

3. भुगतान या उपहार किसी अधिकारी या अभ्यर्थी (या उसके एक या अधिक परिजनों, व्यापारिक सहकर्मियों, अभिकर्ताओं या अन्य प्रतिनिधियों) की ओर (या के व्यक्तिगत लाभ के लिए) दिष्ट है.

   a. “अधिकारियों” को (या उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए) निषिद्ध भुगतान एवं उपहार नहीं किए/दिए जा सकते हैं. “अधिकारियों” में किसी सरकार, या उस सरकार के किसी विभाग, अभिकरण या संभाग, या किसी पूर्ण या आंशिक सरकरारी स्वामित्वाधीन इकाई (‘राज्य-स्वामित्वाधीन-उपक्रम’ या ‘SOE’, जैसे आंशिक रूप से राज्य-स्वामित्वाधीन बैंक, यूटिलिटी कंपनियां, परिवहन-प्रदाता एवं दूरसंचार प्रदाता), या किसी अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरण (जैसे संयुक्त राष्ट्र और उसके अभिकरण एवं संगठन) के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. “अधिकारियों” में किसी अन्य अधिकारी के संबंध में या किसी सरकार, उस सरकार के किसी विभाग, अभिकरण या संभाग, या किसी SOE, या किसी अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरण के लिए आधिकारिक, अभिकरण, प्रतिनिधि या सांबंधिक क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं.

b. किसी राजनैतिक दल या उसके अधिकारियों को (या के लाभ के लिए) या किसी राजनैतिक पद के किसी अभ्यर्थी को (या के लाभ के लिए) निषिद्ध भुगतान एवं उपहार नहीं किए/दिए जा सकते हैं. तदनुसार, राजनैतिक दलों, राजनैतिक अधिकारियों या राजनैतिक अभ्यर्थियों को (या उनके लाभ के लिए) किए जाने वाले ऐसे सभी भुगतान, व्यय, उपहार तथा आस्ति ऋण/अंतरण जो कंपनी की किसी भी निधि, आस्ति या संसाधन का उपयोग करते हैं, केवल कंपनी के सरकारी कार्यों के उपाध्यक्ष की अग्रिम लिखित सहमति के साथ, और केवल तब व उस सीमा तक किए जा सकते हैं जब, उक्त संव्यवहार FCPA, अन्य लागू रिश्वतखोरी-विरोधी, भ्रष्टाचार-विरोधी और कालाधनशोधन-विरोधी कानूनों, सभी लागू निर्वाचन एवं अभियान वित्त कानूनों, विनियमों और प्रकटन, तथा कंपनी के राजनैतिक गतिविधि वक्तव्य (देखें). http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statementका अनुपालन करते हों.

4. भुगतान या उपहार "भ्रष्ट ढंग से" दिया गया है.

किसी भुगतान या उपहार को तब "भ्रष्ट ढंग से दिया गया" माना जाता है जब भुगतान या उपहार का इरादा (a) किसी अधिकारी या राजनैतिक अभ्यर्थी को उसकी आधिकारिक क्षमता में किसी मुद्दे पर कदम उठाने या निर्णय करने के लिए प्रभावित करना हो या (b) अधिकारी या अभ्यर्थी को उसके कानूनी कर्तव्य के अनुसार या उसके उल्लंघन में कदम उठाने या नहीं उठाने के लिए प्रभावित करना हो. यदि इस प्रकार से अधिकारी या अभ्यर्थी को प्रभावित करने का प्रयास असफल रहे तो भी यह FCPA का एक उल्लंघन है. यह तथ्य कि भुगतान या उपहार दिया गया था या उसकी पेशकश की गई थी, अपने-आप में भ्रष्ट इरादे का साक्ष्य बन सकता है, या यह निष्कर्ष दे सकता है कि FCPA का उल्लंघन करने वाला भ्रष्ट इरादा मौजूद था (यानि, FCPA का उल्लंघन हुआ है यह माने जाने के लिए भ्रष्ट इरादे का वास्तविक, प्रकट, सुव्यक्त या प्रत्यक्ष साक्ष्य दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है).

5. भुगतान या उपहार किसी अधिकारी, सरकारी इकाई, SOE, या अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरण से व्यापार प्राप्त करने, अपने पास बनाए रखने या उसे निर्देशित करने, या कोई अन्य ग़ैर-कानूनी, भ्रष्ट या अनुचित अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने के लिए दिया गया है.

a. यदि भुगतान या उपहार का इरादा मौजूदा, जारी या भावी व्यापार को किसी की ओर निर्देशित करना है तो यह एक उल्लंघन है.

b. यदि भुगतान या उपहार अधिक अनुकूल कर व्यवहार प्राप्त करने, कानून के उल्लंघनों की अनुमति पाने या उन्हें अनदेखा करवाने, या मौजूदा , जारी या भावी अनुबंधों या व्यापार प्रचालनों से संबंधित अन्य वरीय व्यवहार पाने के प्रयोजन से किया गया है तो भी यह एक उल्लं घन है. हालांकि, यह आवश्यक नहीं कि सामान्य पक्ष-जुटाव (लॉबीइंग) और व्यापार संघ गतिविधियां उल्लंघन हों ही, बशर्ते वे अन्यथा कानून -द्वारा-अनुमत पक्ष-जुटाव (लॉबीइंग)/व्यापार संघ गतिविधियों से संबंधित लागू कानूनों, विनियमों और प्रकटन दायित्वों का अनुपालन करती हों, उन्हें कंपनी के सरकारी कार्यों के उपाध्यक्ष द्वारा अग्रिम में अनुमोदित किया गया हो, और वे कंपनी के राजनैतिक गतिविधि नीति वक्तव्य (देखें). http://www.टेराडाटा.com/Political-Activity-Policy-Statementका अनुपालन करती हों.

B. <u>तृतीय पक्षों को भुगतान/उपहार</u>

किसी तृतीय व्यक्ति/पक्ष को (उल्लेखनीय निश्चितता या दृढ़ विश्वास के साथ) यह जानते हुए या इस विश्वास का समुचित आधार होने पर भुगतान या उपहार देने, देने की पेशकश करने या दिए जाने को अधिकृत करने से FCPA का उल्लंघन हो सकता है कि तृतीय व्यक्ति/पक्ष भुगतान या उपहार का उपयोग किसी अधिकारी या राजनैतिक अभ्यर्थी को प्रभावित करने के लिए इस ढंग से करेगा कि यदि कंपनी ने भुगतान या उपहार सीधे अधिकारी को (या उसके लाभ के लिए) दिया होता तो उससे FCPA का उल्लंघन हो जाता.

C. <u>अपवाद</u>

आवश्यक नहीं कि निम्नलिखित भुगतान FCPA का उल्लंघन करते ही हों :

1. कानूनी रूप से अनुमत 'सरलीकरण भुगतानों' जो आम हैं, प्रथागत हैं और मामूली हैं, तथा सिर्फ़ और सिर्फ़ नेमी, ग़ैर-विवेकाधीन सरकारी कार्यों जिनमें निम्नांकित शामिल हैं, को प्रभाव में लाने या उनका शीघ्रीकरण करने के लिए हैं, के रूप में अधिकारियों को दिए गए भुगतान, बख्शीश, या भेंट :

    a. परमिट, लाइसेंस और व्यापार करने हेतु आवश्यक अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करना;

    b. सरकारी कागज़ातो जैसे वीज़ा और कार्य आदेशों का प्रक्रमण;

    c. पुलिस सुरक्षा, डाक पिक-अप और डिलीवरी प्रदान करना तथा अनुबंध के निष्पादन या देश के आर-पार वस्तुओं के पारगमन से संबंधित निरीक्षणों का समय निर्धारित करना;

    d. फोन सेवा, विद्युत एवं जल आपूर्ति प्रदान करना, कार्गो का लदान/उतरान करना,

बशर्ते उक्त भुगतान, जिस देश में किए गए हैं वहां के लिखित कानूनों के अंतर्गत कानूनी हों; और बशर्ते कि उक्त सरली करण भुगतानों की सत्य व शुद्ध राशियां, पहचानें, प्राप्तकर्ता, दिनांक, प्रकृति एवं प्रयोजन को कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों में पूर्ण रूप से, उचित ढंग से, और समुचित रू प से अभिलिखित किया गया व दर्शाया गया हो. हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसके बावजूद उक्त भुगतान हमारी कंपनी की शून्य सहनशीलता नीति, UK रिश्वतखोरी अधिनियम, और/या अन्य रिश्वतखोरी-विरोधी, भ्रष्टाचार-विरोधी या कालाधनशोधन-विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं, और यदि, प्रस्तावित भुगतान ग़ैर -कानूनी है या नहीं, अनुमत सरलीकरण/ग्रीज़ भुगतान है या नहीं , या फिर Teradata की नीतियों का उल्लंघन करता है या नहीं इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो Teradata विधि विभाग या E&C कार्यालय की अग्रिम लिखित अनुमति के बिना ऐसे भुगतान नहीं किए या अधिकृत नहीं किए जाने चाहिए.

2. निम्नलिखित से सीधे तौर पर संबंधित सीमा तक, किसी अधिकारी या अभ्यर्थी द्वारा या की ओर से उपगत हुए यात्रा, भोजन एवं आवास आदि व्ययों को कंपनी के व्यय पर जुटाना या उनके लिए उचित एवं प्रामाणिक (उदाहरणार्थ, वैध, सदाशयी, उचित) प्रतिपूर्तियां देना :

    a. उत्पादों या सेवाओं का प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन या व्याख्या; या

    b. सरकार, सरकार के किसी अभिकरण, किसी SOE या अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अभिकरण के साथ कोई अनुबंध निष्पादित या संपादित करना,

बशर्ते कि उक्त व्यय/प्रतिपूर्तियां लागू देश/राज्य/प्रांत/अधिकारक्षेत्र के लिखित कानूनों के अंतर्गत कानूनी हों; बशर्ते कि उक्त की सत्य एवं शुद्ध राशियां, पहचानें, प्राप्तकर्ता, दिनांक, प्रकृति और प्रयोजन कंपनी की बहियों और अभिलेखों में पूर्ण रूप से, उचित ढंग से और समुचित रूप से अभिलिखित किए एवं दर्शाए जाएं; और बशर्ते कि उक्त में अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति जो प्रश्नगत व्यापारिक यात्रा/व्यय के संबंध में अधिकारी नहीं है के व्यक्तिगत/अवकाश यात्रा, भोजन या आवास व्यय या प्रतिपूर्तियां भी शामिल नहीं हैं. उदाहरण के लिए, अधिकारी के किसी परिजन या मित्र के लिए उक्त व्यय एवं प्रतिपूर्तियों की पेशकश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें उपगत या अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए, और कंपनी द्वारा उपगत किए गए संबंधित व्ययों/प्रतिपूर्तियों में केवल कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों में स्पष्ट किए गए वैध व्यापारिक प्रयोजनों के लिए, समुचित रूप से आवश्यक समयावधि के लिए और समुचित रूप से आवश्यक स्थानों के लिए वास्तविक एवं यथोचित यात्रा, भोजन एवं आवास ही कवर किए जाने चाहिए (यानि, यदि अधिकारी चाहता है कि उसका कोई परिजन या मित्र उसके साथ रहे, यदि अधिकारी व्यापारिक यात्रा की अवधि को अपने व्यक्तिगत, अवकाशीय या अन्य प्रयोजन जो प्रश्नगत वैध व्यापारिक गतिविधि के संचालन हेतु समुचित रूप से आवश्यक प्रयोजन के अतिरिक्त है, के लिए बढ़ाना चाहता है, और/या यदि अधिकारी व्यक्तिगत, अवकाशीय या अन्य प्रयोजन जो प्रश्नगत वैध व्यापारिक गतिविधि के संचालन हेतु समुचित रूप से आवश्यक प्रयोजन के अतिरिक्त है, के लिए गंतव्य जोड़ना चाहता है – तो यात्रा, भोजन एवं आवास के उन पहलुओं के लिए व्ययों को अधिकारी/उपस्थित व्यक्ति के व्यक्तिगत व्ययों के रूप में उपगत किया जाना चाहिए, न कि कंपनी के व्यापारिक व्ययों के रूप में, और कंपनी द्वारा उक्त व्ययों की पेशकश नहीं की जानी चाहिए और उन्हें किया नहीं जाना चाहिए या अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए) .

किसी सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारी को, के लिए या के लाभ के लिए ऐसे किसी भी यात्रा, भोजन या आवास व्यय/प्रतिपूर्ति का दायित्व देने या अधिकृत करने से पहले कंपनी के विधि विभाग या E&C कार्यालय की समीक्षा, सलाह एवं अनुमोदन प्राप्त करने चाहिए.

साथ ही, हालांकि FCPA सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारियों को या के लिए दिए जाने वाले भु गतानों, उपहारों या अंतरणों पर विशिष्ट रूप से लागू होता है, और ऐसा करना सार्वजनिक भ्रष्टाचार माना जाता है, और Teradata FCPA और उसके संभावित निहितार्थों के बारे में Teradata के व्यक्तियों को सूचित करने के लिए बाध्य है, पर Teradata के व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि Teradata की नीतियां, Teradata आचार संहिता, UK रिश्वतखोरी अधिनियम, अन्य रिश्वतखोरी-विरोधी, भ्रष्टाचार-विरोधी और कालाधनशोधन-विरोधी कानून, ग्राहक अनुबंध एवं ग्राहक नीतियां और आचार संहिताएं निजी अधिकारियों एवं निजी भ्रष्टाचार पर समान या लगभग समान मानक एवं निषेध लागू करते हैं. यहां मुख्य बिदु यह है कि रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार ग़लत हैं, हमेशा ग़लत हैं और संपूर्ण विश्व में सभी स्थानों तथा सभी संबंधों में ग़लत हैं (और Teradata में वे सहन नहीं किए जाएंगे), चाहे वे तकनीकी दृष्टि से FCPA के दायरे में आते हों या नहीं.

D. <u>दंड</u>

1. FCPA के उल्लंघनों के लिए कंपनी को उल्लेखनीय आपराधिक (फ़ौजदारी) और नागरिक (दीवानी) अर्थदंड एवं दंड दिए जा सकते हैं और उससे लाभों का समर्पण करवाया जा सकता है.

2. FCPA के उल्लंघनों के लिए कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं और अन्य प्रतिनिधियों को उल्लेखनीय अर्थदंड एवं दंड दिए जा सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत लाभों का समर्पण करवाया जा सकता/वापसी करवाई जा सकती है, और उन्हें कारावास (यानि, जेल में कैद किए जा ने) का दंड दिया जा सकता है.

3. कॉर्पोरेट नियोक्ता FCPA के उल्लंघनों के लिए किसी व्यक्ति को दिए गए अर्थदंडों, दंडों या व्यक्तिगत लाभों के समर्पण/की वापसी का भुगतान नहीं कर सकता है.

नीति अनुपूरक	नीति संख्या	पृष्ठ
रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं कालाधनशोधन के प्रति शून्य सहनशीलता (वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति) - अनुपूरक	904s	6 कुल 6

II. लेखांकन नियंत्रण (शुद्ध-बही-एवं-अभिलेख) उपबंध

A. आवश्यकताएं

1. FCPA के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित/व्यापार करने वाली कंपनियों और संपूर्ण विश्व में उनकी सभी सहायक कंपनियों को ऐसी बहि यां, अभिलेख और लेखे बनाकर रखने होंगे जो समुचित रूप से विस्तृत हों और जो कंपनी के सभी भुगतानों, व्ययों, अंतरणों, लेनदेनों और निपटानों को शुद्ध व उचित ढंग से दर्शाते हों.

   a. सभी भुगतानों, व्ययों, अंतरणों, लेनदेनों और निपटानों, वे भी जो मामूली राशियों के हैं, को शामिल करना आवश्यक है.

   b. अनभिलिखित भुगतानों, व्ययों, अंतरणों, लेनदेनों और निपटानों की, उनकी जाली प्रविष्टियों की, और उनके संबंध में अन्य मिथ्याभिवेदनों (ग़लतबयानी या ग़लत विवरण) की अनुमति नहीं है.

2. उक्त कंपनियों और संपूर्ण विश्व में उनकी सभी सहायक कंपनियों को आंतरिक लेखांकन नियंत्रण के ऐसे तं त्र बनाने और कायम रखने होंगे जो निम्नलिखित की समुचित आश्वस्ति देते हों :

   a. भुगतानों, व्ययों, अंतरणों और लेनदेनों को सामान्य या विशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार निष्पादित किया जाता है;

   b. भुगतानों, व्ययों, अंतरणों और लेनदेनों को अभिलिखित किया जाता है, ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें और आस्तियों के लिए जवाबदेही कायम रखी जा सके;

   c. आस्तियों तक पहुंच और उनके अंतरण केवल सामान्य या विशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही अनुमत हैं; और

   d. आस्ति लेखांकन अभिलेखों की तुलना समुचित अंतरालों पर मौजूदा आस्तियों के साथ की जाती है (यानि, लेखापरीक्षाएं की जाती हैं), और अंतर मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है.

B. दंड

इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के तंत्र को जानबूझकर निष्प्रभावी करने या उसे लागू नहीं करने, या बहियों और अभिलेखों में जानबूझकर जाली प्रविष्टियां करने के लिए कंपनी और व्यक्तियों को उल्लेखनीय आपराधिक अर्थदंड और दंड दिए जाते हैं, और व्यक्तियों को कारावास का दंड मिलता है.